रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2008/चैत्र 15, 1930
No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2008/CHAITRA 15, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2008

सं. 44011/8/2006-स्था. (ख).—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक ठोस प्रबंधकीय कार्मिक नीति को विकसित करने के लिए तथा विशेष रूप से सरकार को उच्चतम प्रबंधन पदों पर नियुक्तियां करने की सलाह देने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 1974 के संकल्प के द्वारा एक लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का गठन किया। कार्यों, सदस्यता तथा चयन की पद्धति तथा बोर्ड के आधारभूत ढांचे से संबंधित नीति भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 मार्च, 1987 के संकल्प सं. 27(21)ईओ/86(एसीसी) द्वारा परिशोधित की गयी थी। दिनांक 3 मार्च, 1987 के संकल्प में आशोधन दिनांक 6 सितम्बर, 1989 के संशोधन सं. 6(9)ई.ओ./89(एसीसी), दिनांक 2 सितम्बर, 1993 के संशोधन सं. 27(8)ई.ओ./93(एसीसी) तथा दिनांक 19 अप्रैल, 2000 के संशोधन सं. 27(18)ई.ओ./99(एसीसी) द्वारा किए गए थे।

2. लोक उद्यम चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 3 मार्च, 1987 के संकल्प में, संकल्प के पैरा 7.2 में निम्नलिखित को जोड़ते हुए संशोधन किया जाएगा :—

"पात्रता मानदण्ड को पूरा करने के अध्यधीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को, इस संकल्प की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के उम्मीदवारों के साथ गैर-आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में भी समझा जाएगा।"

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
RESOLUTION

New Delhi, the 4th April, 2008

No. 44011/8/2006-Estt.(B).—In order to evolve a sound managerial personnel policy for the Public Sector Enterprises and, in particular, to advise the Government on appointments to the top management posts, the Government of India constituted a Public Enterprises Selection Board (PESB) by a Resolution dated 30th August, 1974. The policy relating to the functions, membership, methodology for selection and infrastructure of the Board, was revised by the Government of India. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department or Personnel and Training) Resolution No. 27(21)EO/86(ACC) dated 3rd March, 1987. Modifications in the Resolution of 3rd March, 1987 were made by Amendments No. 6(9)EO/89(ACC) dated 6th September, 1989, No. 27(8)EO/93(ACC) dated 2nd September, 1993 and No. 27(18)EO/99(ACC) dated 19th April, 2000.

2. With a view to enlarging the scope of the PESB, it has now been decided that the Resolution dated 3rd March, 1987 shall be amended by adding the following in paragraph 7.2 of the Resolution :—

"Candidates from State Public Sector Enterprises and the private sector subject to fulfilling the eligibility criteria, will also be considered as non internal candidates alongwith the candidates of other public sector enterprises, for a period of five years from the date of this Resolution".

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

1266 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.